

# उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़:बिलासपुर

# एकलपीठः माननीय श्री एस.आर.नायक, मुख्यन्यायमूर्ति

# रिट याचिका क्रं. 2119/2006

याचिकाकर्ता

ligh Cou<del>stavalahh</del>attisgarh

श्रीमित द्रोपदी साहू पति-श्री पुहूप राम साहू उम्र- 31 वर्ष लगभग पता- डीएनके कॉलोनी, कोण्डागांव, जिला- बस्तर (छ.ग.)

### विरुद्ध

- छत्तीसगढ़ शासन द्वारा- सचिव, पंचायत व समाज कल्याण विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
  जिला पंचायत,
  जगदलपुर
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, कोण्डागांव, जिला- बस्तर (छ.ग.)

### रिट याचिका क्रं. 2431/2006

<u>याचिकाकर्ता</u>

मनोहरलाल,



उम्र- 27 वर्ष, पिता- श्री शिव राम, पता- पल्ली, तह.- कोण्डागांव, जिला- बस्तर (छ.ग.)

### विरुद्ध

#### <u>उत्तरदातागण</u>



- छत्तीसगढ़ शासन द्वारा- सचिव, पंचायत व समाज कल्याण विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
  जिला पंचायत,
  जगदलपुर
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, दरभा, जिला- बस्तर (छ.ग.)

### रिट याचिका क्रं. 2414/2006

### <u>याचिकाकर्ता</u>

राम कुमार कोसरे पिता- श्री बी.आर.कोसरे उम्र- 28 वर्ष पता- ग्राम कुसमा, तह.-कोण्डागांव, जिला- बस्तर (छ.ग.)

#### विरुद्ध

#### उत्तरदातागण

1. छत्तीसगढ़ शासन





द्वारा- सचिव, पंचायत व समाज कल्याण विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)

 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जगदलपुर, जिला- बस्तर (छ.ग.)

# रिट याचिका क्रं. 2415/2006



विरुद्ध

पुष्पेन्द्र कुरें पिता- श्री एच.पी.कुरें, उम्र- 25 वर्ष, पता- हॉस्पिटल वॉर्ड, तह.-कोण्डागांव, जिला- बस्तर (छ.ग.)

उत्तरदातागण

- छत्तीसगढ़ शासन द्वारा- सचिव, पंचायत व समाज कल्याण विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बस्तर, जगदलपुर, जिला- बस्तर (छ.ग.)



### रिट याचिका क्रं. 2416/2006

#### याचिकाकर्ता

कु. शिवानी बर्मन पिता- स्व. श्री जे.एन. बर्मन, उम्र- 27 वर्ष, पता- कोण्डागांव, जिला- बस्तर (छ.ग.)

#### विरुद्ध

#### उत्तरदातागण



- छत्तीसगढ़ शासन द्वारा- सचिव, पंचायत व समाज कल्याण विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बस्तर, जगदलपुर, जिला- बस्तर (छ.ग.)

### रिट याचिका क्रं. 2417/2006

### <u>याचिकाकर्ता</u>

राजेन्द्र सिंह बघेल पिता- श्री एस.आर.बघेल, उम्र- 28 वर्ष, पता- ग्राम सोनाबल, तह.- कोण्डागांव, जिला- बस्तर (छ.ग.)

### विरुद्ध

#### उत्तरदातागण

 छत्तीसगढ़ शासन द्वारा- सचिव,





पंचायत व समाज कल्याण विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)

 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बस्तर, जगदलपुर, जिला- बस्तर (छ.ग.)

# रिट याचिका क्रं. 2412/2006

#### याचिकाकर्ता



कृष्ण चंद्र शर्मा पिता- श्री बी.पी.शर्मा, उम्र- 28 वर्ष, पता- ग्राम माकड़ी, तह.- कोण्डागांव, जिला- बस्तर (छ.ग.)

विरुद्ध

- छत्तीसगढ़ शासन द्वारा- सचिव, पंचायत व समाज कल्याण विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बस्तर, जगदलपुर, जिला- बस्तर (छ.ग.)

# रिट याचिका क्रं. 2122/2006

याचिकाकर्ता

भूपत राम साहू



पिता- श्री पुरूषोत्तम साहू, उम्र- 24 वर्ष, पता- ग्राम कोसमाण्डा, पो.- गौरमाटी, जिला- कबीरधाम (छ.ग.)

#### विरुद्ध

#### <u>उत्तरदातागण</u>



- छत्तीसगढ़ शासन द्वारा- सचिव, पंचायत विभाग, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.)
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत , सहसपुर लोहारा , जिला- कबीरधाम (छ.ग.)
- जनपद पंचायत,
  सहसपुर लोहारा,
  द्वारा- अध्यक्ष,
  जनपद पंचायत सहसपुर लोहारा,
  जिला- कबीरधाम

# रिट याचिका क्रं. 2121/2006

### <u>याचिकाकर्ता</u>

राजेश्वरी कौशिक पिता- श्री पालन कौशिक, उम्र- 21 वर्ष लगभग, पता- ग्राम गोछिया, जिला- कबीरधाम (छ.ग.)

### विरुद्ध





#### उत्तरदातागण

- छत्तीसगढ़ शासन द्वारा- सचिव, पंचायत विभाग, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.)
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सहसपुर, लोहारा, जिला- कबीरधाम (छ.ग.)
- जनपद पंचायत,
  सहसपुर लोहारा,
  द्वारा- अध्यक्ष,
  जनपद पंचायत सहसपुर लोहारा,
  जिला- कबीरधाम



### रिट याचिका क्रं. 2125/2006

श्रीमित चेतना नामदेव पति-श्री ए.के.नामदेव, उम्र- 35 वर्ष लगभग पता- डीएनके कॉलोनी, कोण्डागांव, जिला- बस्तर (छ.ग.)

### विरुद्ध

#### उत्तरदातागण

 छत्तीसगढ़ शासन द्वारा- सचिव, पंचायत व समाज कल्याण विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)





- मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
  जिला पंचायत,
  जगदलपुर
- 3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, कोण्डागांव, जिला- बस्तर (छ.ग.)

# रिट याचिका क्रं. 2124/2006

#### <u>याचिकाकर्ता</u>



विरुद्ध

जयंती माला पिता- श्री राधे कृष्ण बंजारे, उम्र- 23 वर्ष लगभग पता- अद्का छेप्रा पारा, कोण्डागांव, जिला- बस्तर (छ.ग.)

- छत्तीसगढ़ शासन द्वारा- सचिव, पंचायत व समाज कल्याण विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
  जिला पंचायत,
  जगदलपुर
- 3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, कोण्डागांव, जिला- बस्तर (छ.ग.)





### रिट याचिका क्रं. 2123/2006

#### याचिकाकर्ता

सीमा कोर्राम पति- श्री हेमल राम कोर्राम, उम्र- 24 वर्ष लगभग पता- मर्दापाल, कोण्डागांव, जिला- बस्तर (छ.ग.)

#### विरुद्ध

#### <u>उत्तरदातागण</u>




- छत्तीसगढ़ शासन द्वारा- सचिव, पंचायत व समाज कल्याण विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
  जिला पंचायत,
  जगदलपुर
- 3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, कोण्डागांव, जिला- बस्तर (छ.ग.)

# रिट याचिका क्रं. 2118/2006

### <u>याचिकाकर्ता</u>


श्रीमित हीरामणी पति-श्री चेतमन मरकाम, उम्र- 23 वर्ष लगभग पता- पलारी, कोण्डागांव,





#### विरुद्ध

#### <u>उत्तरदातागण</u>



- मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
  जिला पंचायत,
  जगदलपुर
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, कोण्डागांव, जिला- बस्तर (छ.ग.)



# रिट याचिका क्रं. 2117/2006


श्रीमित वर्षा शर्मा पति-श्री शिव प्रकाश शर्मा, उम्र- 38 वर्ष लगभग पता- सिविल लाइन्स, कोण्डागांव, जिला- बस्तर (छ.ग.)

#### विरुद्ध

#### उत्तरदातागण

 छत्तीसगढ़ शासन द्वारा- सचिव, पंचायत व समाज कल्याण विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)





3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, कोण्डागांव, जिला- बस्तर (छ.ग.)

# रिट याचिका क्रं. 2184/2006

#### याचिकाकर्ता



विरुद्ध

अमृत लाल साहू पिता- श्री जोहन लाल साहू, उम्र- 20 वर्ष लगभग पता- ग्राम बड़गांव, ब्लॉक- माकड़ी, जिला- बस्तर (छ.ग.)

 छत्तीसगढ़ शासन द्वारा- सचिव, पंचायत व समाज कल्याण विभाग, मंत्रालय,

रायपुर (छ.ग.)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
 जिला पंचायत,
 जगदलपुर

 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, माकड़ी, जिला- बस्तर (छ.ग.)



# रिट याचिका क्रं. 2185/2006

#### याचिकाकर्ता

कु. महंती पाण्डे पिता- श्री रामेश्वर पाण्डे, उम्र- 23 वर्ष लगभग पता- ग्राम बरकाइ, तह.- कोण्डागांव, जिला- बस्तर (छ.ग.)

#### विरुद्ध

#### <u>उत्तरदातागण</u>



- छत्तीसगढ़ शासन द्वारा- सचिव, पंचायत व समाज कल्याण विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
  जिला पंचायत,
  जगदलपुर
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, माकड़ी, जिला- बस्तर (छ.ग.)

# रिट याचिका क्रं. 2186/2006

### <u>याचिकाकर्ता</u>

लिता साहू पिता- श्री कृपाराम साहू, उम्र- 22 वर्ष लगभग पता- विकास नगर, तह.- कोण्डागांव,






### जिला- बस्तर (छ.ग.)

#### विरुद्ध

#### उत्तरदातागण

- छत्तीसगढ़ शासन द्वारा- सचिव, पंचायत व समाज कल्याण विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
  जिला पंचायत,
  जगदलपुर
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, माकड़ी, जिला- बस्तर (छ.ग.)



मुकेश कुमार पाण्डे पिता- श्री रामेश्वर प्रसाद पाण्डे, उम्र- 26 वर्ष लगभग पता- ग्राम बरकाइ, तह.- कोण्डागांव, जिला- बस्तर (छ.ग.)

### विरुद्ध

#### उत्तरदातागण

 छत्तीसगढ़ शासन द्वारा- सचिव, पंचायत व समाज कल्याण विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)



2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बस्तर जगदलपुर जिला- बस्तर (छ.ग.)

# रिट याचिका क्रं. 2436/2006

### <u>याचिकाकर्ता</u>



मेघनाथ साहू पिता- श्री जगदीश राव साहू, उम्र- 21 वर्ष लगभग पता- दाउ कापा, तह.- लोरमी, जिला- बिलासपुर (छ.ग.)

### विरुद्ध

- छत्तीसगढ़ शासन द्वारा- सचिव, पंचायत व समाज कल्याण विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
  जिला पंचायत,
  कबीरधाम,
  जिला- कबीरधाम
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, पण्डिरया, जिला- कबीरधाम
- 4. खण्ड शिक्षा अधिकारी पण्डरिया, जिला- कबीरधाम (छ.ग.)



# रिट याचिका क्रं. 2435/2006

#### याचिकाकर्ता

भाव दास पिता- श्री दुकालू राम, उम्र- 30 वर्ष, पता- दलपुरवा, तह.- पण्डिरया, जिला- कबीरधाम (छ.ग.)

#### विरुद्ध

#### <u>उत्तरदातागण</u>



- छत्तीसगढ़ शासन द्वारा- सचिव, पंचायत व समाज कल्याण विभाग,
  - मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
  जिला पंचायत,
  कबीरधाम,
  जिला- कबीरधाम (छ.ग.)
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, पण्डिरया,
  - जिला- कबीरधाम (छ.ग.)
- 4. खण्ड शिक्षा अधिकारी पण्डरिया, जिला- कबीरधाम (छ.ग.)

# रिट याचिका क्रं. 2434/2006

### <u>याचिकाकर्ता</u>

राम अवतार साहू पिता- श्री बिश्राम साहू,



उम्र- 28 वर्ष, पता- दाउ कापा, तह.- लोरमी, जिला- बिलासपुर (छ.ग.)

#### विरुद्ध

#### उत्तरदातागण



- छत्तीसगढ़ शासन द्वारा- सचिव, पंचायत व समाज कल्याण विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
  जिला पंचायत,
  कबीरधाम,
  जिला- कबीरधाम (छ.ग.)
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, पण्डिरया, जिला- कबीरधाम (छ.ग.)
- 4. खण्ड शिक्षा अधिकारी पण्डरिया, जिला- कबीरधाम (छ.ग.)

# रिट याचिका क्रं. 2437/2006

### <u>याचिकाकर्ता</u>

नोहर सिंह पिता- श्री लाभो सिंह, उम्र- 28 वर्ष, पता- पथर्रा, तह.- लोरमी, जिला- बिलासपुर (छ.ग.)



#### विरुद्ध

#### उत्तरदातागण



- छत्तीसगढ़ शासन द्वारा- सचिव, पंचायत व समाज कल्याण विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कबीरधाम, जिला- कबीरधाम (छ.ग.)
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, पण्डिरया, जिला- कबीरधाम (छ.ग.)
- 4. खण्ड शिक्षा अधिकारी पण्डरिया, जिला- कबीरधाम (छ.ग.)

# रिट याचिका क्रं. 2438/2006

### <u>याचिकाकर्ता</u>

श्रीमित धर्मीन साहू पित-श्री जे.आर. साहू, उम्र- 32 वर्ष, पता- मुच्छेल, तह.- लोरमी, जिला- बिलासपुर (छ.ग.)

#### विरुद्ध

#### उत्तरदातागण

 छत्तीसगढ़ शासन द्वारा- सचिव, पंचायत व समाज कल्याण विभाग,



मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)

- मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
  जिला पंचायत,
  कबीरधाम,
  जिला- कबीरधाम (छ.ग.)
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, पण्डिरया, जिला- कबीरधाम (छ.ग.)
- 4. खण्ड शिक्षा अधिकारी पण्डरिया, जिला- कबीरधाम (छ.ग.)



# रिट याचिका क्रं. 2432/2006

जनक राम साहू उम्र- 20 वर्ष, पिता- श्री कुम्भ लाल साहू, पता- दाउ कापा, तह.- लोरमी, जिला- बिलासपुर (छ.ग.)

### विरुद्ध

### <u>उत्तरदातागण</u>

- छत्तीसगढ़ शासन द्वारा- सचिव, पंचायत व समाज कल्याण विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
  जिला पंचायत,



कबीरधाम, जिला- कबीरधाम (छ.ग.)

- 3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, पण्डरिया, जिला- कबीरधाम (छ.ग.)
- 4. खण्ड शिक्षा अधिकारी पण्डरिया, जिला- कबीरधाम (छ.ग.)

# रिट याचिका क्रं. 2433/2006



<u>उत्तरदातागण</u>

विरुद्ध

सुख चंद उम्र- 21 वर्ष, पिता- श्री जीवन लाल, पता- ग्राम कोआलरी, तह.- पण्डरिया, जिला- कबीरधाम (छ.ग.)

- 1. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा- सचिव, पंचायत व समाज कल्याण विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)
- 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कबीरधाम, जिला- कबीरधाम (छ.ग.)
- 3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत,

2006:CGHC:1060



पण्डरिया, जिला- कबीरधाम (छ.ग.)

4. खण्ड शिक्षा अधिकारी पण्डरिया, जिला- कबीरधाम (छ.ग.)

उपस्थितः श्री प्रफुल्ल भारत तथा श्री अनुप मजुमदार, याचिकाकर्तागण हेतु विद्वान अधिवक्ता। श्री यशवंत सिंह, छ.ग. शासन हेतु विद्वान शासकिय अधिवक्ता।

# <u>मौखिक आदेश</u>

igh Court of Chhar (दिनाँक 22 जुन 2006 को पारित)

इन रिट याचिकाओं के समूह में निर्णय लेने के लिए एक छोटा किन्तु सामान्य महत्व का प्रश्न यह है कि क्या हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग द्वारा जारी मध्यमा (विशारद) भाग ॥ का प्रमाण-पत्र तथा उत्तमा (साहित्य रत्न) भाग ॥ का प्रमाण-पत्र, शिक्षाकर्मी वर्ग ॥ तथा शिक्षाकर्मी वर्ग ॥ के पदों पर भर्ती के लिए क्रमशः उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परीक्षा तथा डिग्री परीक्षा के समतुल्य हैं। जबिक, याचिकाकर्ताओं के अनुसार, ये समकक्ष योग्यताएं हैं, उत्तरवादी राज्य प्राधिकारियों और अन्य उत्तरवादीगण के अनुसार, ये समकक्ष योग्यताएं नहीं हैं।

(2) अविभाजित मध्यप्रदेश राज्य ने मध्यप्रदेश मान्यता अधिनियम, 1937 की धारा 2 के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश पंचायत शिक्षाकर्मी (भर्ती एवं सेवा शर्ते) नियम, 1997 (संक्षेप में नियम') नाम से नियम बनाये हैं। सभी पक्षों का यह सामान्य मामला है कि नियमों के तहत शिक्षाकर्मी वर्ग ॥ के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता किसी भी विषय में डिग्री है, जबिक शिक्षाकर्मी वर्ग ॥ के पद के लिए निर्धारित योग्यता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परीक्षा



उत्तीर्ण है। किंतु, याचिकाकर्ताओं का यह मामला है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग द्वारा जारी मध्यमा (विशारद) भाग–॥, हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा के समकक्ष है। इसी प्रकार याचिकाकर्ताओं का यह मामला है कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग द्वारा जारी 'उत्तमा (साहित्य रत्न) भाग–॥।' प्रमाणपत्र एक डिग्री के समकक्ष है। इसलिए यह दावा करते हुए, याचिकाकर्ताओं ने यह परिवाद किया है कि उत्तरवादी– जनपद पंचायतों को इस आधार पर याचिकाकर्ताओं को नियुक्तियाँ देने से इंकार करना न्यायोचित नहीं है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग द्वारा जारी उपरोक्त प्रमाण पत्र, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के प्रमाण पत्र अथवा डिग्री के समकक्ष नहीं है।

- (3) तर्कों के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि नियमावली लागू होने के बाद ऐसे अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं, जहां विभिन्न जनपद पंचायतों ने हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग द्वारा जारी उपर्युक्त प्रमाण-पत्रों को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परीक्षा और डिग्री के प्रमाण-पत्र के समकक्ष मानते हुए प्रमाण-पत्र धारकों को नियुक्तियां प्रदान की थीं, इसलिए संबंधित जनपद पंचायतों को हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग द्वारा जारी उपर्युक्त प्रमाण-पत्रों को नियमावली के अंतर्गत निर्धारित योग्यताओं के समकक्ष मान्यता देनी चाहिए थी। उनका तर्क है कि इस भ्रामक आधार पर कि उक्त प्रमाणपत्र समतुल्य नहीं हैं, आक्षेपित इनकार करना पूरी तरह से मनमाना और अनुचित है।
  - (4) दूसरी ओर, राज्य एवं राज्य प्राधिकारियों की ओर से उपस्थित विद्वान शासिकय अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि ऐसा कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह पता चले कि राज्य सरकार ने किसी भी समय हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग द्वारा जारी उपर्युक्त प्रमाण-पत्रों को नियमों के अन्तर्गत निर्धारित शैक्षिक योग्यताओं के समकक्ष मान्यता दी हो। उत्तर में याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि मध्य प्रदेश मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम, 1937 की धारा 2 के खण्ड (ख) में परिभाषित "मान्यता प्राप्त परीक्षा" की परिभाषा के अनुसार, हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग द्वारा जारी उपर्युक्त प्रमाण-पत्र "मान्यता प्राप्त परीक्षा" हैं, अतः नियमों के अन्तर्गत भर्ती संस्थान उस मान्यता से बंधे हुए हैं तथा वे हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग द्वारा जारी उपर्युक्त प्रमाण-पत्रों पर विचार करने से इंकार नहीं कर सकते हैं।



(5) यह नियम मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के तहत वैधानिक शक्ति के प्राप्तकर्ता के रूप में तैयार किए गए हैं। शिक्षाकर्मी वर्ग ॥ और वर्ग ।।। के पद के लिए शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने के लिए राज्य सरकार के अधिकार और क्षमता पर मेरे समक्ष कोई प्रश्न नहीं उठाया गया है और इस पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। नियमों के तहत शिक्षाकर्मी वर्ग ॥। के पद के लिए निर्धारित योग्यता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परीक्षा का प्रमाण पत्र है तथा शिक्षाकर्मी वर्ग ॥ के पद के लिए निर्धारित योग्यता किसी भी विषय में डिग्री है। यह सुस्थापित है कि ना तो न्यायालय ना हि किसी अन्य को भर्ती संस्थानों को यह निर्धारित करने या निर्देश देने का कार्य नहीं है कि कौन सी योग्यता भर्ती नियमों के अधीन निर्धारित योग्यता के समकक्ष होगी। यह नियम बनाने वाले प्राधिकरण का परमाधिकार है कि वह किसी अन्य योग्यता को जो भर्ती नियमों के अधीन निर्दिष्ट नहीं है, असमकक्ष योग्यता के रूप में मान्यता दे। क्योंकि मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 के अधीन केवल राज्य सरकार ही भर्ती नियम बनाने हेतु सशक्त है, केवल राज्य सरकार ही किसी अन्य योग्यता को निर्धारित योग्यता के समकक्ष योग्यता के रूप में मान्यता दे सकती है तथा किसी अन्य बाह्य संस्था द्वारा मान्यता देने के लिए नहीं है। साधारणतया पिछले वर्षों में, संभवतः चालू वर्ष में भी, कुछ जनपद पंचायतों ने हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग द्वारा जारी उपर्युक्त प्रमाण-पत्र धारण करने वाले व्यक्तियों को नियमों के अनिवार्य प्रावधानों के उह्नंघन में शिक्षाकर्मी वर्ग ॥ या शिक्षाकर्मी वर्ग ॥। के पद पर नियुक्त किया है, यह परिस्थिति स्वयं में न्यायालय द्वारा, जनपद पंचायत जैसे भर्ती संस्थान को वैधानिक नियमों का उल्लंघन करते हुए नियुक्ति करने हेतु, परमादेश जारी करने हेतु न्यायोचित नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि यह सुस्थापित है कि किसी भी परिस्थिति के अधीन किसी प्राधिकारी को सार्वजनिक विधि की आवश्यकता का उल्लंघन करने और/या वैधानिक नियमों के अनिवार्य प्रावधानों का उल्लंघन करने हेत् परमादेश जारी नहीं किया जाएगा। इस स्तर पर ही, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का उपरोक्त दावा कि हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र रखने वाले व्यक्तियों को भी शिक्षाकर्मी वर्ग ॥ और वर्ग ॥। के रूप में नियुक्त किया गया था, राज्य के लिए उपस्थित शासकिय अधिवक्ता द्वारा तर्क के दौरान तीखी बहस की गयी थी। इस न्यायालय को इस तथ्यात्मक विवाद को हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस तथ्यात्मक विवाद पर जो भी निष्कर्ष हो, उसका मामले में निर्णय लेने पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस परिस्थिति में, मैं उत्तरवादी भर्ती संस्थानों को इस आधार पर शिक्षाकर्मियों के पद पर नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ताओं



के मामले पर विचार न करने के लिए कोई आपत्ति नहीं कर सकता कि उनके पास निर्धारित शैक्षिक योग्यता नहीं है और हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र निर्धारित योग्यता के समकक्ष नहीं हैं। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि मान्यता प्राप्त योग्यता अनिवार्यतः समकक्ष योग्यता नहीं होनी चाहिए। केवल इसलिए कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग द्वारा जारी उपरोक्त प्रमाण-पत्रों को मध्य प्रदेश मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम, 1937 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त परीक्षा माना जा सकता है, उन्हें नियमों के अन्तर्गत निर्धारित योग्यताओं के समकक्ष योग्यता नहीं माना जा सकता, क्योंकि सरकार द्वारा उन प्रमाण-पत्रों को निर्धारित योग्यताओं के समकक्ष मान्यता देने के लिए कोई आदेश या अधिसूचना जारी नहीं की गई है। अतः रिट याचिका खारिज की जाती है। वाद व्यय का

High Court of Chhattisgarh

कोई आदेश नहीं दिया जाता है।

हस्ताक्षर मुख्य न्यायमूर्ति

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है तािक वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By - Adv Neeta Verma